UPJS010034412025

# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

**ठासीन- कमलेश कच्छल, एच०जे०एस०**

JO Code No- UP 1881

( CNR NO- UPJS01- 003441- 2025)

**सत्र वाद संख्या- ८७७/ २०२५**

**सरकार** **बनाम** **रविन्द्र उर्फ रिंकू अहिरवार आदि।**

अ०सं०- ९१/ २०२५

धारा- १०५ बी०एन०एस०

थाना- कोतवाली, जिला झाँसी।

**आदेश**

**दिनांकः- २८. ०६. २०२५**

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण रविन्द्र उर्फ रिंकू अहिरवार एवं रोहित बाल्मीकि जिला कारागार झांसी से मय विद्वान अधिवक्ता (चीफ लीगल डिफेंस काउन्सिल) उपस्थित। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी उपस्थित।

आरोप के विन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को किस किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते हैं।

मैंने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मैं इस मत पर हूं कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्तगण रविन्द्र उर्फ रिंकू अहिरवार एवं रोहित बाल्मीकि ने धारा- १०५ बी०एन०एस० का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धारा के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देती हूं कि अभियुक्तगण रविन्द्र उर्फ रिंकू अहिरवार एवं रोहित बाल्मीकि के विरूद्ध धारा- १०५ बी०एन०एस० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य **दिनांक- १०. ०७. २०२५** को पेश हो। साक्षी नियमानुसार तलब हो।

**( कमलेश कच्छल )**

**दिनांकः२८. ०६. २०२५** **सत्र न्यायाधीश,**

**झाँसी।**

UPJS010034412025

# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

**ठासीन- कमलेश कच्छल, एच०जे०एस०**

JO Code No- UP 1881

( CNR NO- UPJS01- 003441- 2025)

**सत्र वाद संख्या- ८७७/ २०२५**

**सरकार** **बनाम** **रविन्द्र उर्फ रिंकू अहिरवार आदि।**

अ०सं०- ९१/ २०२५

धारा- १०५ बी०एन०एस०

थाना- कोतवाली, जिला झाँसी।

**आरोप**

मैं, कमलेश कच्छल,सत्र न्यायाधीश, झाँसी आप अभियुक्तगण **रविन्द्र उर्फ रिंकू अहिरवार** एवं **रोहित बाल्मीकि** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हूं-

यह कि दिनाक- २०. ०३. २०२५ को समय करीब ०७. ०० बजे , स्थान- लक्ष्मी गेट बाहर लवकुश कालोनी ( वादी का मकान) , थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आप लोगो ने नशे की हालत में वादी मुकदमा ह्वदेश अहिरवार उर्फ रॉकी की भाभी श्रीमती संगीता पत्नी अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रिंकू अहिरवार को कमरे में बंद करके मारपीट कर ऐसी गम्भीर उपहति पहुंचाई , जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। इस प्रकार आप लोगों ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, जो बी०एन०एस० की धारा- **१०५** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको यह निर्देश देती हूं कि उक्त आरोप के लिए आप लोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

**( कमलेश कच्छल )**

**दिनांकः२८. ०६. २०२५** **सत्र न्यायाधीश,**

**झाँसी।**

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया , जिसे मानने से उन्होंने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

**( कमलेश कच्छल )**

**दिनांकः२८. ०६. २०२५** **सत्र न्यायाधीश,**

**झाँसी।**